रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई, 25, 1989/श्रावण 3, 1911
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 1989/SRAVANA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1989

का. आ. 572 (अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम 1989 है।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह स्कीम 1 अगस्त, 1987 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थाकरण) स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त स्कीम" कहा गया है), में, पैरा 4 में , उपपैरा (5) के पश्चात निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(6) 1 अगस्त, 1987 से प्रत्येक अधिकारी का वेतन और भत्ते 7वीं अनुसूची के अनुसार होंगे।

परंतु अधिकारी अपना यह संकल्प दे सकेगा कि उसका मूल वेतन किसी ऐसी तारीख से, जो 1 अगस्त, 1987 से पूर्व की न हो और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से बाद की न हो 7वीं अनुसूची के निबंधनों के अनुसार नियत किया जाए; ऐसी दशा में वह इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निगम को अपने विकल्प की सूचना देगा।

परंतु यह और कि इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगी।

परंतु यह और भी कि जहां संगत वेतनमान में मूल वेतन के नियतन के परिणामस्वरूप दो क्रमवार क्रमों पर अधिकारियों का मूल वेतन उसी क्रम पर नियत होता है तो उन अधिकारियों की बाबत नियतन के पश्चात, जो उच्चतर विद्यमान मूल वेतन क्रम पर थे, पहली वेतन वृद्धि की तारीख 1 अगस्त, 1987 होगी और पश्चातवर्ती वेतन वृद्धियां प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को देय होंगी।

3. उक्त स्कीम में, पैरा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

"8. वेतनवृद्धियां:

अधिकारी को उसे लागू वेतनमान में वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष उस मास की पहली तारीख को देय होगी जिसमें अंतिम वेतनवृद्धियां ली गई थी या उस मास की पहली तारीख को देय होगी जिसमें वह बारह मास की निरंतर सेवा पूरी कर लेता है।

परंतु यदि संबंद्ध अधिकारी उसे लागू वेतनमान की अधिगतम सीमा तक पहुंच जाता है तो उसे ऐसी वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "बारह मास की निरंतर सेवा" से असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़ कर बारह मास के बराबर कर्तव्य की अवधि अभिप्रेत है।"

4. उक्त स्कीम में इस प्रकार प्रतिस्थापित पैरा 8 के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"8.क अतिरिक्त वेतन वृद्धि :

कार्य अभिलेख संतोषजनक पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में किसी अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है, ऐसी सीमा तक पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक तीन संपूरित वर्षों के लिए वेतनमान में उसके द्वारा ली गई उतनी वेतनवृद्धि के बराबर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जा सकेगी किंतु अधिक से अधिक ऐसी दो वेतनवृद्धियां दी जा सकेंगी । ऐसी अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति निगम या कंपनी का अध्यक्ष होगा।

स्पष्टीकरण

इस पैरा के प्रयोजन के लिए सेवा से असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़कर कर्तव्य की अवधि अभिप्रेत है।"

5. उक्त स्कीम के पैरा 9 में "8-1/3 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर 1 अप्रैल 1989 से "10 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त स्कीम में 6ठी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"7वीं अनुसूची"

(पैरा 4 देखिए)

1. वेतनमान (मूल वेतन):

(1) महाप्रबंधक: 6400-150-7000 रु.

(2) सहायक महाप्रबंधक: 5950-150-6550 रु.

(3) प्रबंधक: 5350-150-5950 रु.

(4) उपप्रबंधक: 4520-13-4910-140-5050-150-5350 रु.

(5) सहायक प्रबंधक : : 3660-120-4260-130-4910-140-5050 रु.

(6) प्रशासनिक अधिकारी: 2940-120-4260-130-4520 रु.

(7) सहायक प्रशासनिक अधिकारी: 2100-120-4260 रु.

मूल वेतन का नियतन सारणी

सहायक प्रशासनिक अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		सहायक प्रबंधक		उप प्रबंधक		प्रबंधक		सहायक महा प्रबंधक		महा प्रबंधक	
प्रक्रम संख्या	विद्यमान मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	मूल वेतन
	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 1175	2100	1625	2940	2250	3780	2715	4520	3245	5350	3725	5950	4100	6400
2. 1250	2220	1725	3060	2350	3900	2820	4650	3355	5500	3850	6100	4225	6550
3. 1325	2340	1825	3180	2450	4020	2925	4780	3465	5650	3975	6250	4350	6700
4. 1400	2460	1925	3300	2550	4140	3030	4910	3575	5800	4100	6400	4475	6850
5. 1485	2700	2025	3540	2650	4260	3135	5050	3685	5950	4225	6550	4600	7000
6. 1570	2820	2125	3660	2750	4390	3240	5200	3800	5950	4350	6550		
7. 1655	2940	2225	3780	2850	4520	3345	5350						
8. 1740	3060	2325	3900	2950	4650	3450	5350						
9. 1825	3180	2425	4020	3050	4780								
10. 1910	3300	2525	4140	3150	4910								
11. 1995	3420	2625	4260	3250	5050								
12. 2080	3540	2725	4390										
13. 2165	3660	2825	4520										
14. 2250	3780	2925	4520										
15. 2335	3900												
16. 2420	3900												
17. 2505	4020												
18. 2590	4140												
19. 2675	4260												

टिप्पण : उक्त सारणी में "विद्यमान मूल वेतन" पद से चौथी अनुसूची के अनुसार लागू मूल वेतन अभिप्रेत है।

(III) मंहगाई भत्ता:

(1) अधिकारियों को लागू मंहगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा:

सूचक : औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

आधार वर्ष :
1960 = 100

मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण:— मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक 4 प्वाइंट की वृद्धि या गिरावट के लिए तिमाही आधार पर किया जाएगा।

मंहगाई भत्ते की दर : 600 प्वाइंटों से ऊपर तिमाही औसत के प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों से परिकलित किया जाएगा :

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ते की दर
(I) 2850 रु. तक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 1650 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत
(II) 2851 रु. से 4020 रु. तक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 2850 रु. और 1650 रु. के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत घन 2850 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.33 प्रतिशत ।
(III) 4021 रु. और उससे अधिक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 2850 रु. और 1650 रु. के बीच अंतर का 0.55 प्रतिशत घन 4020 रु. और 2850 रु. के बीच अंतर का 0.33 प्रतिशत घन 4020 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.17 प्रतिशत

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक के तिमाही औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600-604-608-612 और इसी अनुक्रम में प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर संदेय मंहगाई भत्ते का ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संबंध में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगई भत्ता दिया गया है तो संदेय मंहगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण होने पर संदेय मंहगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू औसत अंक अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय मंहगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्सामान जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है।

(3) इस प्रयोजन के लिए तिमाही से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत होगी

(4) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में प्रकाशित अंतिम सूचकांक वह सूचकांक होगा जिसे मंहगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।

(5) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत अंक में परिवर्तनों के तत्समान मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस तिमाही की समाप्ति के बाद केवल दूसरे उत्तरावर्ती मास से प्रभावी होगा।

IV. मकान किराया भत्ता:—

(1) उपमद (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारियों को संदेय मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत की दर पर दिया जाएगा जो अधिक से अधिक 500 रु. प्रतिमास होगा।

(2) अहमदाबाद, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, पुणे, पणजी या मारमूगांव में तैनात अधिकारियों के मामले में मकान किराया भत्ता निम्नलिखित में से कम से कम संदेय होगा, अर्थात्:—

(क) कोई रकम, जो मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत के बराबर हो या ;

(ख) कोई रकम, जो अधिकारी को लाग् वेतनमान के न्यूनतम पर मूल वेतन के 6 प्रतिशत और उसके द्वारा संदत्त वास्तविक किराए के बीच अंतर के बराबर हो या जहां निवास स्थान का मालिक स्वयं अधिकारी ही हो वहां करों के रूप में निर्गम सहित उसके विनिधान का 12 प्रतिशत।

परंतु संदेय रकम उपमद (1) के अधीन विहित मकान किराया भत्ता से कम नहीं होगी और 600 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगी

(3) अधिकारी, जिन्हें निगम द्वारा निवास स्थान आबंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे जिसका विनिश्चय निगम समय समय पर करेगा और वे उपमद (1) या उपमद (2) के निबंधनों के अनुसार किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।"

V नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

(1) अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान नियमानुसार होगा:—

तैनाती का स्थान	दर
(क) (i) वे नगर जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, पणजी और मारमूगांव 1 अगस्त 1987 से	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 220 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं
(ii) मारमूगाव और पणजी से भिन्न गोवा राज्य के किसी नगर में, 19 मई, 1988 से ।	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 220 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं
(iii) गुड़गांव, वाशी और गांधी नगर में 12 मई, 1989 से ।	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 220 रु. से प्रतिमास से अधिक ।
(ख) (1) वे नगर जिनकी आबादी 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर 1 अगस्त 1987 से।	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 135 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं
(ii) पंचकुला नगर में, 12 मई, 1989 से ।	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 135 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं

टिप्पण :—इस पैरा के प्रयोजन के लिए, आबादी के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना में दिए गए हैं।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता:—

(i) अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा:—

(i) औसत समुद्र तल से 1,500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित पर तैनात	मूल वेतन के 7 प्रतिशत की दर किन्तु 180 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं
(ii) समुद्र तल से, 1,000 मीटर और उससे ऊपर किन्तु 1,500 मीटर से कम की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात सरकारी और ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है	मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर पर किन्तु 150 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं"।

VII किट भत्ता :—

प्रत्येक अधिकारी को किसी ऐसे पर्वतीय स्थान को अपने स्थानान्तरण पर, जहां इस अनुसूची की मद vi के निबंधनों के अनुसार पर्वतीय भत्ता संदेय है, 2000/ —रु. किट भत्ता दिया जाएगा।

परंतु यदि ऐसे अधिकारी ने किसी समय पूर्व ऐसा भत्ता लिया हो तो उसे किट भत्ता संदेय नहीं होगा।

[फा. सं. 2(16)/बीमा III/89]

एन. आर. रंगानाथन, अपर सचिव (बीमा)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार 1 अगस्त 1987 से भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी समनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों की बाबत वेतनमानों और सेवा की शर्तों को पुनरीक्षित करने को मंजूरी देती है तदनुसार अधिकारियों की स्कीम का 1 अगस्त 1987 से संशोधन किया जा रहा है।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय साधारण बीमा निगम या उसकी समनुषंगी कम्पनियों के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण:—मूल अधिसूचना सं. का. आ. 521 (अ) तारीख 17-9-1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में उसका संशोधन अधिसूचना सं. का आ. 672 (अ) तारीख 21-11-1975, का आ. 389 (अ) तारीख 1-6-1976, का आ. 2445 तारीख 6-8-1977, का आ 1047 तारीख 15-4-1978, का. आ. 2110 तारीख 14-6-1978, का. आ. 3428 तारीख 2-12-1978, का. आ. 5 तारीख 6-1-1979, का. आ. 770 (अ) तारीख 15-10-1985, का. आ. 883 (अ) तारीख 9-12-1985, का. आ. 442(अ) तारीख 27-4-1987, का. आ. 138(अ) तारीख 29-1-1988 और का. आ. 782 (अ) तारीख 22-6-1988

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

INSURANCE DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 1989

S.O. 572(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972). the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 1989.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1987.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other conditions of service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the "Said Scheme"), in paragraph 4, after sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be inserted namely :—

"(6) With effect from the 1st day of August, 1987, the pay and allowances of every Officer shall be in accordance with the Seventh Schedule.

Provided that the officer may choose that his basic pay may be fixed in terms of Seventh Schedule with effect from any date which shall not be earlier than the first day of August, 1987 and later than the date of publication of this Scheme; in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within thirty days of publication of this Scheme.

Provided further that no arrears for the peroid prior to the date so chosen shall be payable to such officer.

Provided also that where, as a result of the fixation of basic pay in the relevant scale of pay the basic pay of Officers at two consecutive stages secure fixation at the same stage, the date of first increment after fixation in respect of officers who were at higher existing basic pay stage shall be the first day of August 1987 and subsequent increments shall fall due on the first day of August every year."

3. In the said scheme, for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"8. Increments :—

An increment to an officer in the scale of pay applicable to him shall be due every year on the 1st day of the month in which the last increment was drawn or on the 1st day of the month in which he completes twelve months of continuous service.

Provided that no such increment shall be granted if the concerned officer has reached the maximum of the scale of pay applicable to him.

Explanation :—For the purposes of this paragraph, "twelve months of continuous service" means a period of duty equal to twelve months excluding period of extraordinary leave."

4. In the 'said Scheme', after paragraph 8 so substituted the following paragraph shall be inserted, namely:

"8A. Additional Increment :—

Subject to the work record being found satisfactory an Officer in the scale of pay of Administrative Officer, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to a maximum of two such increments. Authority competent to grant such additional increment shall be the Chairman of the Corporation or the Company, as the case may be.

Explanation :

For the purpose of this paragraph service means the period of duty excluding period/(s) of extraordinary leave."

5. In paragraph 9 of the said Scheme, for the figures and words "8-1/3 per cent" the figures and words "10 per cent" shall be substituted with effect from 1st day of April, 1989.

6. In the said Scheme, after Sixth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely :—

"THE SEVENTH SCHEDULE

[See Paragraph 4]

I. Scales of pay (Basic pay) :

(1) General Manager :
Rs. 6400–150–7000.

(2) Assistant General Manager :
Rs. 5950–150–6550.

(3) Manager :
Rs. 5350–150–5950.

(4) Deputy Manager :
Rs. 4520–130–4910–140–5050–150–5350.

(5) Assistant Manager :
Rs. 3660–120–4260–130–4910–140–5050.

(6) Administrative Officer :
Rs. 2940–120–4260–130–4520.

(7) Assistant Administrative Officer :
Rs. 2100–120–4260.

(I. Fixation of the Basic pay

TABLE

	Assistant Administrative Officer		Administrative Officer		Assistant Manager		Deputy Manager		Manager		Assistant General Manager		General Manager	
Stg. No.	Existing Basic Pay	Basic Pay	Existing Basic Pay	Basic Pay	Existing Basic Pay	Basic Pay	Existing Basic Pay	Basic Pay	Existing Basic Pay	Basic Pay	Existing Basic Pay	Basic Pay	Existing Basic Pay	Basic Pay
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1.	1175	2100	1625	2940	2250	3780	2715	4520	3245	5350	3725	5950	4100	6400
2.	1250	2220	1725	3060	2350	3900	2820	4650	3355	5500	3850	6100	4225	6550
3.	1325	2340	1825	3180	2450	4020	2925	4780	3465	5650	3975	6250	4350	6700
4.	1400	2460	1925	3300	2550	4140	3030	4910	3575	5800	4100	6400	4475	6850
5.	1485	2700	2025	3540	2650	4260	3135	5050	3685	5950	4225	6550	4600	7000
6.	1570	2820	2125	3660	2750	4390	3240	5200	3800	5950	4350	6550		
7.	1655	2940	2225	3780	2850	4520	3345	5350						
8.	1740	3060	2325	3900	2950	4650	3450	5350						
9.	1825	3180	2425	4020	3050	4780								
10.	1910	3300	2525	4140	3150	4910								
11.	1995	3420	2625	4260	3250	5050								
12.	2080	3540	2725	4390										
13.	2165	3660	2825	4520										
14.	2250	3780	2925	4520										
15.	2335	3990												
16.	2420	3900												
17.	2505	4020												
18.	2590	4140												
19.	2675	4260												

NOTE : The term "Existing Basic Pay" in the above Table shall mean the basic pay as applicable in accordance with the Fourth Schedule.

III. Dearness Allowance :

(1) The scale of dearness allowance applicable to the Officers shall be determined as under:—

Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

Base Year : 1960 = 100.

Revision of Dearness Allowance:—Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall.

Rate of Dearness Allowance :—For every 4 points in the quarterly average over 600 points, the dearness allowance shall be calculated at the following rates:—

Basic Pay	Rate of D.A. for every 4 points.
(i) Upto Rs. 2850	0.67% of Rs. 1650 plus 0.55% of basic pay in excess of Rs. 1650
(ii) Rs. 2851 to Rs. 4020	0.67% of Rs. 1650 plus 0.55% of difference between Rs. 2850 and Rs. 1650 plus 0.33% of basic pay in excess of Rs. 2850.

(iii) Rs. 4021 and above.	0.67% of Rs. 1650 plus 0.55% of difference between Rs. 2850 and Rs. 1650 plus 0.33% of the difference between Rs. 4020 and Rs. 2850 plus 0.17% of basic pay in excess of Rs. 4020.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All Idia Consumer Price Index above 600 points in the sequence 600–604–608–612 and so on; and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current avearage figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current avearage figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequenc next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the above sequence.

(3) For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December.

(4) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearmess allowance.

(5) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

IV. House Rent Allowance :

(1) Save as otherwise provided in sub-item (2), the house rent allowance payable to Officers shall be at the rate of 12.5 per cent of the basic pay, subject to a maximum of Rs. 500 per month.

(2) In case of Officers posted at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, Pune, Panaji or Marmugao, the house rent allowance, payable shall be the least of the following, namely :—

(a) an amount equivalent to 12.5 per cent of the basic pay; or

(b) an amount equal to the difference between 6 per cent of the abasic pay at the minimum of the scale of pay applicable to the officer and the actual rent paid by him or 12 per cent of his investment together with outgoings by way of taxes where the residential accommodation is owned by the officer:

Provided that the amount payale shall not be less than the house rent allowance prescribed under sub-item (1) and not more than Rs. 600 per month.

(3) Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation appropriate licence fee as may be decided by he Corporation from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance in terms of either sub-item (1) or sub-item (2).

V. City Compensatory Allowacne:

(1) The scale of City Compensatory Allowance payable to Officers shall be as under :

	Place of posting	Rate
	1	2
(a)	(i) Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Gaziabad, Noida, Panaji and Marmugao on and from 1st day of August 1987.	7% of Basic pay subject to a maximum of Rs. 220/– per month.
	(ii) Any city in the State of Goa other than Panaji and Marmugao on and from the 19th day of May 1988.	7% of Basic Pay subject to a maximum of Rs. 220/– per month.
	(iii) Cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar on and from the 12th day of May, 1989.	7% of Basic Pay subject to a maximum of Rs 220/– per month.

1	2
(b) (i) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry and Port Blair on and from the 1st day of August, 1987.	4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.
(ii) City of Panchkula on and from 12th day of May, 1989.	4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.

NOTE : For the purpose of this paragraph, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

VI. Hill Station Allowance :

(1) The scale of Hill Station Allowance payable to Officers shall be as follows :

(i) Posted at places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level.	At the rate of 7 per cent of the Basic Pay subject to maximum of Rs. 180 per month.
(ii) Posted at places situated at a height of 1000 metres and over but less than 1500 metres above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.	At the rate of 5 per cent of the Basic Pay subject to a maximum of Rs. 150 per month.

VII. Kit Allowance :

Every Officer on his transfer to any of the hill stations at which hill station allowance is payable in terms of items VI of this Schedule shall be paid a Kit Allowance of Rs. 2000/-

Provided that no kit allowance shall be payable if such Officer has drawn such allowance at any time earlier."

[F. No. 2(16)/Ins. III/89]

N.R.RANGANATHAN, Addl. Secy. (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and condition of Service in respect of the Officers of the General Insurance Corporation of India and Subsidiary Companies with effect from 1st August, 1987. The Scheme of the Officers is being amended accordingly with effect from 1st August 1987.

2. It is certified that no Officer of the General Insurance Corporation of India or its Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

NOTE : The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O. 521(E) dated 17-9-1975.

Subsequently amended by Notification No. S.O. 672(E) dated 21-11-1975, S.O. 389 (E) dated 1-6-1976, S.O. 2445 dated 6-8-1977, S.O. 1047 dated 15-4-1978, S.O. 2110 dated 14-6-1978, S.O. 3428 dated 2-12-1978, S.O. 5 dated 6-1-1979, S.O. 770(E) dated 15-10-1985, S.O. 883(E) dated 9-12-1985, S.O 442(E) dated 27-4-1987, S.O 138(E) dated 29-1-1988 and S.O. 782(E) dated 22-8-1988.

2049 GI/89—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989